दिनांक: 14 नवंबर 2023

ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता (ECBC)

इस लेख में "दैनिक करंट अफेयर्स" और विषय विवरण "ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता (ईसीबीसी)" शामिल है। यह विषय संघ लोक सेवा आयोग के सिविल सेवा परीक्षा के "अर्थव्यवस्था" अनुभाग में प्रासंगिक है।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए:

- *ऊर्जा संरक्षण भवन कोड (ECBC) क्या है?*

मुख्य परीक्षा के लिए:

- *सामान्य अध्ययन- 3: अर्थव्यवस्था बुनियादी ढांचा*

सुर्खियों में क्यों?

- हाल ही में, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (आईईए) ने अपने विश्व ऊर्जा आउटलुक 2023 में भारत के मजबूत ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता (ईसीबीसी), 2017 पर प्रकाश डाला है, जिसमें वाणिज्यिक भवनों के लिए मजबूत ऊर्जा दक्षता नियमों के साथ विकासशील देशों के बीच भारत की अनूठी स्थिति पर जोर दिया गया है।

ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता (ईसीबीसी), 2017

- ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता (ईसीबीसी), 2017, जिसे शुरू में 2007 में विद्युत मंत्रालय के ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) द्वारा पेश किया गया था और 2017 में अपडेट किया गया था, **पूरे भारत में वाणिज्यिक भवनों में ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।**
- वर्तमान में, 23 राज्यों ने ईसीबीसी अनुपालन के लिए नियमों को अपनाया है, जबकि महाराष्ट्र और गुजरात जैसे बड़े राज्य अपने नियमों को तैयार करने की प्रक्रिया में हैं।
- एक राष्ट्रीय मानक के रूप में, ईसीबीसी अलग-अलग राज्यों को अपनी विशिष्ट क्षेत्रीय जरूरतों को पूरा करने के लिए संहिता को तैयार करने के लिए लचीलापन प्रदान करता है, जिससे उन्हें प्रवर्तन के लिए राज्य कानूनों के रूप में नियमों का मसौदा तैयार करने और अधिसूचित करने की आवश्यकता होती है।

उद्देश्य:

- ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता वाणिज्यिक भवनों के लिए न्यूनतम ऊर्जा मानकों को स्थापित करता है, जिसका उद्देश्य **अनुपालन संरचनाओं में** 25 से 50 प्रतिशत तक ऊर्जा बचत प्राप्त करना है।

प्रयोज्यता:

- यह संहिता वाणिज्यिक भवनों पर लागू होता **है, जिसमें अस्पताल, होटल, स्कूल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मल्टीप्लेक्स शामिल हैं, जिनमें 100 किलोवाट या उससे अधिक का कनेक्टेड लोड या** 120 केवीए **या उससे अधिक की अनुबंध मांग है**।
- ईसीबीसी **नए निर्माण और मौजूदा इमारतों की रेट्रोफिटिंग दोनों पर लागू होता है।**
- अनुपालन इमारतों को दक्षता के बढ़ते क्रम में तीन टैग में से एक प्राप्त होता है: **ईसीबीसी, ईसीबीसी प्लस और सुपर ईसीबीसी।**

अर्थ:

- भारत में इमारतें वर्तमान में कुल बिजली खपत का 30 प्रतिशत योगदान देती हैं, 2042 तक अनुपात बढ़कर 50 प्रतिशत होने की उम्मीद है।
- एक उल्लेखनीय रिपोर्ट इंगित करती है कि अगले दो दशकों में प्रत्याशित इमारतों में से 40 प्रतिशत का निर्माण अभी तक नहीं किया गया है, जो नीति निर्माताओं और बिल्डरों के लिए उनके विकास में स्थिरता सुनिश्चित करने का एक अनूठा अवसर प्रस्तुत करता है।

अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA)

- अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) एक स्वतंत्र अंतर-सरकारी संगठन है जिसका मुख्यालय पेरिस में है।
- 1973 के अरब तेल प्रतिबंध के जवाब में आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओईसीडी) के सदस्यों द्वारा 1974 में स्थापित, आईईए का मिशन सभी के लिए सुरक्षित और टिकाऊ ऊर्जा सुनिश्चित करने में देशों की सहायता करना है।

मिशन:

- आईईए के प्राथमिक मिशन में नीति गत सिफारिशें प्रदान करना, विश्लेषण करना और वैश्विक ऊर्जा क्षेत्र से संबंधित डेटा की पेशकश करना शामिल है।
- एजेंसी एक सुरक्षित और टिकाऊ ऊर्जा भविष्य को आकार देने के लिए सरकारों और उद्योग हितधारकों के साथ सहयोग करती है।

मुख्य प्रकाशन:

- आईईए अपनी प्रभावशाली रिपोर्टों के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें विश्व ऊर्जा आउटलुक, तेल बाजार रिपोर्ट और विश्व ऊर्जा रोजगार रिपोर्ट शामिल हैं।
- इन प्रकाशनों के माध्यम से, आईईए वैश्विक ऊर्जा परिदृश्य की जटिलताओं को नेविगेट करने के लिए महत्वपूर्ण मूल्यवान अंतर्दृष्टि और जानकारी का योगदान देता है।

स्रोत: द इंडियन एक्सप्रेस

दैनिक अभ्यास प्रश्न-

प्रश्न-1. ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता (ECBC) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता को शुरू में नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) द्वारा पेश किया गया था।
2. ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता को नई इमारतों और पुराने लोगों के नवीकरण दोनों पर लागू किया जा सकता है।

उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) उपरोक्त में कोई नहीं

उत्तर: (B)

प्रश्न-2. निम्नलिखित पर विचार कीजिए:

1. विश्व ऊर्जा आउटलुक
2. विश्व ऊर्जा संक्रमण आउटलुक
3. विश्व ऊर्जा रोजगार रिपोर्ट

अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) द्वारा उपर्युक्त रिपोर्टों में से कितनी प्रकाशित की जाती हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) उपरोक्त सभी
(d) उपरोक्त में कोई नहीं

उत्तर: (B)

मुख्य परीक्षा प्रश्न-

प्रश्न-03. भारत में वाणिज्यिक भवनों में ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने में ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता (ईसीबीसी), 2017 की भूमिका पर चर्चा कीजिए।

Rajiv Pandey

Yojna IAS
योजना है तो सफलता है

प्रसारण सेवा (विनियमन) विधेयक, 2023

इस लेख में "दैनिक करंट अफेयर्स" और विषय विवरण "प्रसारण सेवा (विनियमन) विधेयक, 2023" शामिल है। यह विषय संघ लोक सेवा आयोग के सिविल सेवा परीक्षा के "राजनीति और शासन " अनुभाग में प्रासंगिक है।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए:

- *प्रसारण सेवा (विनियमन) विधेयक, 2023 की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं?*

मुख्य परीक्षा के लिए:

- *सामान्य अध्ययन-2: राजनीति और शासन*

सुर्खियों में क्यों?

- हाल ही में, सूचना और प्रसारण मंत्रालय प्रसारण सेवा (विनियमन) विधेयक, 2023 के मसौदा संस्करण का अनावरण किया।

प्रसारण सेवा (विनियमन) विधेयक, 2023-

- मसौदा विधेयक देश में प्रसारण सेवाओं की देखरेख के लिए एक एकीकृत ढांचा पेश करता है, **जिसका उद्देश्य केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम , 1995** और इस क्षेत्र को नियंत्रित करने वाले मौजूदा नीति गत दिशानिर्देशों की जगह लेना है।
- यह **नियामक प्रक्रियाओं को सरल बनाता है , ओवर-द-टॉप (ओटीटी) सामग्री और डिजिटल समाचार को शामिल करने के लिए अपने दायरे का विस्तार करता है।**
- विधेयक में उभरती प्रौद्योगिकियों के लिए आधुनिक परिभाषाओं और प्रावधानों को शामिल किया गया है।
- यह सामग्री मूल्यांकन समितियों **और** स्व-विनियमन के लिए एक प्रसारण सलाहकार परिषद की स्थापना का **भी प्रस्ताव करता है।**
- इसके अतिरिक्त, यह विभिन्न प्रसारण नेटवर्क ऑपरेटरों के लिए अलग-अलग कार्यक्रम और विज्ञापन कोड की वकालत करता है, विकलांग व्यक्तियों के लिए पहुंच उपायों की रूपरेखा तैयार करता है, और वैधानिक दंड पेश करता है।

मुख्य विशेषताएं:

समेकन और आधुनिकीकरण:

- एकल विधायी ढांचे के तहत विभिन्न प्रसारण सेवाओं के लिए नियामक प्रावधानों को समेकित और अद्यतन करने की लंबे समय से चली आ रही आवश्यकता को संबोधित करता है।
- नियामक प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना, दक्षता बढ़ाना और ढांचे का आधुनिकीकरण करना।
- ओवर-द-टॉप (ओटीटी) सामग्री, डिजिटल समाचार और वर्तमान मामलों को शामिल करने के लिए नियामक दायरे का विस्तार करता है, जो वर्तमान में आईटी अधिनियम, 2000 के माध्यम से विनियमित है।

समकालीन परिभाषाएँ और भविष्य के लिए तैयार प्रावधान:

- विकसित प्रौद्योगिकियों और सेवाओं के साथ तालमेल रखने के लिए समकालीन प्रसारण शर्तों के लिए व्यापक परिभाषाओं का परिचय देता है।
- उभरती प्रसारण प्रौद्योगिकियों के लिए प्रावधानों को शामिल करता है, यह सुनिश्चित करता है कि कानून भविष्य के लिए तैयार रहे।

स्व-विनियमन व्यवस्था को मजबूत करता है:

- 'सामग्री मूल्यांकन समितियों' को पेश करके आत्म-विनियमन को बढ़ाता है।
- मौजूदा अंतर-विभागीय समिति को एक अधिक सहभागी और व्यापक 'प्रसारण सलाहकार परिषद' में विकसित करना।

विभेदित कार्यक्रम कोड और विज्ञापन कोड:

- विभिन्न सेवाओं में कार्यक्रम और विज्ञापन कोड के लिए एक अलग दृष्टिकोण की अनुमति देता है।
- प्रसारकों द्वारा स्व-वर्गीकरण की आवश्यकता होती है और प्रतिबंधित सामग्री के लिए मजबूत पहुंच नियंत्रण उपायों को लागू करता है।

Yojna IAS योजना है तो सफलता है

विकलांग व्यक्तियों के लिए पहुंच:

- व्यापक अभिगम्यता दिशा-निर्देश जारी करने के लिए सक्षम प्रावधान प्रदान करके दिव् यांगजनों की विशिष् ट आवश् यकताओं को पूरा करता है।

वैधानिक दंड और जुर्माना:

- ऑपरेटरों और प्रसारकों के लिए सलाहकार कार्रवाई, चेतावनी, निंदा, या मौद्रिक दंड जैसे वैधानिक दंड का परिचय देता है।
- कारावास और जुर्माने के प्रावधान को बरकरार रखता है, लेकिन केवल गंभीर अपराधों के लिए, एक संतुलित नियामक दृष्टिकोण सुनिश्चित करता है।

न्यायसंगत दंड:

- निष्पक्षता और इक्विटी सुनिश्चित करने के लिए निवेश और कारोबार पर विचार करते हुए, मौद्रिक दंड और जुर्माना को इकाई की वित्तीय क्षमता से जोड़ता है।

बुनियादी ढांचे को साझा करना, प्लेटफ़ॉर्म सेवाएं-

- इसमें प्रसारण नेटवर्क ऑपरेटरों के बीच बुनियादी ढांचे को साझा करने और प्लेटफॉर्म सेवाओं की ढुलाई के प्रावधान शामिल हैं।
- स्थानांतरण और परिवर्तनों को अधिक कुशलता से संबोधित करने के लिए राइट ऑफ वे अनुभाग को सुव्यवस्थित करता है।
- एक संरचित विवाद समाधान तंत्र स्थापित करता है।

स्त्रोत-सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने प्रसारण सेवा (विनियमन) विधेयक, 2023 का प्रस्ताव किया

दैनिक अभ्यास प्रश्न-

प्रश्न-1. प्रसारण सेवा (विनियमन) विधेयक, 2023 के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. इसका उद्देश्य 2000 के सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की जगह लेना है।
2. बिल ओवर-द-टॉप (ओटीटी) सामग्री, डिजिटल समाचार और पारंपरिक प्रसारण सेवाओं को शामिल करने के लिए अपने दायरे का विस्तार करता है।

उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) उपरोक्त में कोई नहीं

उत्तर: (B)

प्रश्न-02. प्रसारण सेवा (विनियमन) विधेयक , 2023 के प्रमुख उद्देश्यों और भारत में विकसित होते प्रसारण परिदृश्य के संदर्भ में इसके महत्व को स्पष्ट कीजिए।

Rajiv Pandey

Yojna IAS
योजना है तो सफलता है
yojnaias.com